निर्णय बइजलास शक्ति सिंह भाटी (**R.A.S.**)सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला–राजसमन्द

प्र0सं0 105/2018 प्रा. पत्र

निर्णय दिनांक :–27.11.2019

अनवान

1. श्री हीरा लाल पिता मांगु बलाई उम्र बालिग निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़
2. राधा पुत्री मांगु बलाई उम्र बालिग निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़
3. नोसर पुत्री मांगु बलाई उम्र बालिग निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़
4. दाखी बेवा मांगु बलाई उम्र बालिग निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़
5. कमलेश पिता सुरेश बलाई नाबालिग जरिये सरंक्षक हीरा लाल पिता मांगु निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री उदयराम पिता गिरधारी उम्र बालिग जाति कुम्हार निवासी पारालिया तहसील देवगढ़
2. श्री बाबु लाल पिता गिरधारी उम्र बालिग जाति कुम्हार निवासी पारालिया तहसील देवगढ़
3. सुख लाल पिता गिरधारी उम्र बालिग जाति कुम्हार निवासी पारालिया तहसील देवगढ़
4. अणछी पुत्री गिरधारी उम्र बालिग जाति कुम्हार निवासी पारालिया तहसील देवगढ़
5. संतोष पुत्री गिरधारी उम्र बालिग जाति कुम्हार निवासी पारालिया तहसील देवगढ़
6. मिठु बाई पत्नि गिरधारी उम्र बालिग जाति कुम्हार निवासी पारालिया तहसील देवगढ़
7. शंकर लाल पिता हीरा लाल उम्र बालिग जाति महाजन निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़

——विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 टि0एक्ट

उपस्थित :– श्री उग्रप्रतापसिंह वकील प्रार्थी।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित होकर आराजी सं0 322 रकबा 1.11 बीघा, आ0नं0 331 रकबा 1.19 बीघा, आ0नं0 333 रकबा 0.15 बीघा है। उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण अपने बाप दादाओं के समय से ही खेती बाडी करते आ

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

रहे जिस पर जाने के लिये विपक्षीगण कि आराजी नं0 329 एवं 330 में से होकर आते जाते रहे है। किता 50 वर्षो से ही उस खेतो से ही आना जाना रहा है। परन्तु एक माह पुर्व विपक्षीगण ने रास्ता बंद कर दिया है। प्रार्थीगण के आने जाने हेतु विपक्षीगण के खेतो से 20 फिट चौडा रास्ता जिससे ट्रेक्टर ट्रोली खेत पर आती जाती थी। प्रार्थीगण उक्त रास्ते को आज से 30 दिन पूर्व पहले विपक्षीगण उनकी भूमि के किनारे बन्द कर दिया है तथा प्रार्थी के खेत पर खेती करना एवं फसल बुवाई अना बंद कर दिया है तथा जबरन प्रार्थी के खेत पर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है जिससे प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र उक्त बंद किये रास्ते को 20 फिट रास्ता दिलाने हेतु पेश किया जा रहा है, प्रार्थीगण की जिस रास्ते में खातेदारी भूमि आ रही है उसकी डीएलसी रेट से प्रार्थी क्षतिपूर्ति कि राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने का एक मात्र यही रास्ता है उसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को विपक्षीगण की खातेदारी भूमि जो ग्राम दौलपुरा में स्थित होकर आराजी नं0 329 एवं 330 में से 20 फिट चौडा रास्ता दिलवाने एवं रेकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी सं0 01 से 06 की ओर से वकील श्री राजेन्द्रनाथ योगी ने वकालातनामा पेश किया। विपक्षी सं0 07 को जारी सम्मन तामिल हो जाने पर भी अनुपस्थित रहे जिस पर विपक्षी सं0 07 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। वकील प्रार्थी एवं विपक्षीमय पक्षकारान के दिनांक 13.06.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान के मध्य ग्राम के मौतबिरान व्यक्तियो के द्वारा सुलह किये जाने से आपसी राजीनामा हो चुका है। विपक्षीगण डीएलसी दर अनुसार रास्ते में जाने वाली भूमि की किमत प्रार्थीगण को देने को तैयार है अतः प्रकरण का आपसी राजीनामे के आधार पर निस्तारण करवाया जावें। तहसीलदार देवगढ से इसकी जांच करा रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार देवगढ ने रिपोर्ट पेश की जिसमें निवेदन किया कि ग्राम दौलपुरा की आ0नं0 329 में से 0.03.15 विस्वा एवं आ0नं0 330 में से 0.015 कुल 0.04.10 विस्वा भूमि रास्ते में जायेगी उक्त भूमि आराजी नं0 330 श्री उदय राम बाबु लाल, सुखलाल, अणछी, संतोषी पिता गिरधारी, मिठु बाई पत्नि गिरधारी के खाते दर्ज है। इस भूमि की वर्तमान बाजार दर 120193/– से दुगुनी किमत रू0 9015/– बनती है तथा आराजी नं0 329 में से 0.03.15 विस्वा भूमि रास्ते में जायेगी। उक्त आराजी श्री शंकर लाल पिता हिरा लाल महाजन निवासी दौलपुरा के खाते दर्ज है। इस भूमि की वर्तमान बाजार दर 120193/– रू प्रति बीघा है। रास्ते में जाने वाली भूमि 0.03.15 विस्वा की दुगुनी किमत 45072/– रू0 बनती है। तहसीलदार देवगढ ने प्रस्तावित रास्ते को ट्रेस में दर्शाकर नजरी नक्शा पेश किया। अधिवक्तागण की बहस सुनी अधिवक्तागण ने बहस में निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामें के आधार पर प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। अतः आपसी राजीनामे के अनुसार रास्ते में जाने वाली भूमि की किमत खातेदारो को अदा कर रास्ता का रेकार्ड में अंकन करवाया जावे।

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला–राजसमन्द

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, नकल जमाबन्दी रिपोर्ट तहसीलदार देवगढ एव पत्रावली मे संलग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा विद्ववान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। उपर्युक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि ग्राम दोलपुरा की आराजी न0 322 एव 331 मे से पुर्व मे रास्ता चालु था। जिसे विपक्षीगण ने बन्द कर दिया। रास्ता बन्द हो जाने से प्रार्थीगण का उनकी कृषि भुमि पर आना जाना बन्द हो गया है। जिसमे रास्ता दर्ज करवाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ग्राम दौलपुरा की आ0 न0 322 एवं 331 मे रास्ता दर्ज के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे की प्रार्थीगण से खातेदार श्री उदयराम, बाबुलाल, सुखलाल अणछी, संतोषी पिता गिरधारी, मिठु बाई पत्नी गिरधारी को भुमि के किमत की दुगनी राशि 9015/– रूपये एवं खातेदार श्री शंकर लाल पिता हिरालाल महाजन को भुमि की किमत की दुगनी राशि 45072/– रूपये अदा कर मौके पर रास्ता दर्ज कर रास्ते का रेकर्ड मे अंकन कर रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे। पत्रावली वास्ते प्राप्त करने अंकन रास्ता दिनाक 30/01/2020 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द